

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक: **21-05-2026**

प्र०-1-रा०(नि०)-०१/२०२६-३३२८/एम० बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक ०९/लो०से०आ०/गो०, दिनांक २२.०१.२०२६ के द्वारा विज्ञापन संख्या-३६/२०२५ के अन्तर्गत अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों की विभागीय अधिसूचना जापांक २१२७ दिनांक २४.०३.२०२६ द्वारा बिहार खान एवं भूतत्व सेवा के मूल कोटि के खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स लेवल-९ (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ) में पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्ति किया गया है। निम्न सारणी की क्रम संख्या-१ से ८ तक में अंकित नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-५ में अंकित जिला खनन कार्यालय में खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	मेधा क्रमांक	पदस्थापित कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री मृत्युंजय कुमार	मधेपुरा	1	जिला खनन कार्यालय, बक्सर
2	श्री ऋषव कुमार	नालंदा	2	जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज
3	श्री गोपाल कुमार सिंह	रोहतास	3	जिला खनन कार्यालय, मुंगेर
4	श्री अम्बिक कुमार	पटना	5	जिला खनन कार्यालय, भागलपुर
5	श्री सौरभ कुमार	अरवल	10	जिला खनन कार्यालय, कटिहार
6	श्रीमती ऋचा	बेगुसराय	7	जिला खनन कार्यालय, अररिया
7	श्री जय शंकर प्रसाद	अररिया	17	जिला खनन कार्यालय, सीतामढ़ी
8	सुश्री रश्मि बाला	अरवल	22	जिला खनन कार्यालय, सहरसा

- नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी के नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापन पत्र में अंकित QR Code से फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान होने के पश्चात् प्रभार ग्रहण किया जा सकेगा।
- सभी नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी मूल नियुक्ति पत्र एवं पूर्व की सेवा से विरमन पत्र के साथ बिपार्ड में प्रशिक्षण समाप्ति के उपरांत अगले कार्य दिवस को पदस्थापन जिला में प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि को प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करने का एकाधिकार विभाग को होगा।
- विभाग में योगदान करने की तिथि से परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी।
- सभी नव नियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान विभाग में योगदान करने की तिथि से पदस्थापित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- सभी नव नियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी का नई अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत स्थायी सेवानिवृत्ति लेखा संख्या (PRAN NUMBER) खोला जाना आवश्यक है।
- सभी नव नियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी को प्रभार ग्रहण करने के उपरांत बिपार्ड, पटना में प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा। साथ ही परिवीक्षा अवधि में निर्धारित सभी प्रशिक्षण करना अनिवार्य होगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


21/5/26
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

जापांक:-प्र०-1-रा०(नि०)-०1/2026-3328 एम०, पटना, दिनांक 21-05-2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/26
सरकार के अपर सचिव

जापांक:-प्र०-1-रा०(नि०)-०1/2026-3328 एम०, पटना, दिनांक 21-05-2026

प्रतिलिपि:-सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/26
सरकार के अपर सचिव

जापांक:-प्र०-1-रा०(नि०)-०1/2026-3328 एम०, पटना, दिनांक 21-05-2026

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/26
सरकार के अपर सचिव

जापांक:-प्र०-1-रा०(नि०)-०1/2026-3328 एम०, पटना, दिनांक 21-05-2026

प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/26
सरकार के अपर सचिव

जापांक:-प्र०-1-रा०(नि०)-०1/2026-3328 एम०, पटना, दिनांक 21-05-2026

प्रतिलिपि:-सभी नवनियुक्त खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/26
सरकार के अपर सचिव

जापांक:-प्र०-1-रा०(नि०)-०1/2026-3328 एम०, पटना, दिनांक 21-05-2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आईटी० मैनेजर, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/5/26
सरकार के अपर सचिव